महत्वपूर्ण

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश

क्रमांक/आई.डी.एस.पी (तकनीकी)/2021/1726 भोपाल, दिनांक 01/12/2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।
5. समस्त प्रभारी, कोविड–19 अस्पताल, म.प्र.।
6. अध्यक्ष, म.प्र. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन।
7. अध्यक्ष, म.प्र. नर्सिंग होम एसोसिएशन।

विषयः– प्रदेश में कोविड–19 के संभावित तृतीय लहर की पूर्व तैयारियों के संबंध में निर्देश।
संदर्भः– संचालनालयीन पत्र क्र./आई.डी.एस.पी./2021/1572 दिनांक 11/10/2021

विषयांतर्गत लेख है कि SARS CoV-2 Variants के प्रवृत्तियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निरन्तर बदलाव होना प्रतिवेदित है जिसके कारण Variants of Concern (VOCs) के संबंध में लगातार निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है। ज्ञातव्य हो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा SARS CoV-2 के नवीन B.1.1.529 प्रजाति Omicron को Variant of Concern घोषित किया गया है। प्रदेश में कोविड–19 के संभावित तृतीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए निम्नानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएः–

कोविड–19 के संभावित प्रकरणों का चिन्हांकन, टेस्टिंग एवं ट्रैकिंग

1. कोविड पॉजीटिव प्रकरणों की संभावित वृद्धि के नियंत्रण हेतु Test-Track-Treat के साथ–साथ कोविड टीकाकरण में गति एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. भीड़–भाड़ को नियंत्रित करते हुए मास्किंग, सामूहिक दूरी एवं कोविड अनुकूल व्यवहारों यथा खांसते–छींकते समय नाक व मुख का ढांकने संबंधी अनुशासन का पालन किया जाए।
3. कोविड–19 के संभावित लक्षण वाले रोगियों की अनिवार्यतः जांच आर.टी.पी.सी.आर./आर.ए.टी. पद्धति से सुनिश्चित की जाए।
4. कोविड–19 की पर्याप्त जांच सुविधाएं ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध रहे तथा जिलों में "हॉट–स्पॉट्स" का चिन्हांकन कर ऐसे क्षेत्रों में अधिकाधिक सैम्पल संग्रहण सुनिश्चित किया जाए।
5. पॉजीटिव प्रकरणों के हॉई–रिस्क एवं अधिक से अधिक अन्य कॉन्टेक्टस् को सूचीबद्ध कर उनकी ट्रैकिंग एवं टेस्टिंग कर, निगरानी में रखा जाए।

कोविड–19 पॉजीटिव प्रकरणों का प्रबंधन

1. Variant of Concern की संभावना एवं कोविड–19 के तृतीय संभावित लहर के त्वरित नियंत्रण हेतु नीतिगत निर्णय अनुसार **अब समस्त लक्षण युक्त कोविड पॉजीटिव प्रकरणों को लक्षणों के आधार पर अस्पताल में कोविड आईसोलेशन वॉर्ड, कोविड आई.सी.यू. वॉर्ड अथवा कोविड हाई डिपेन्डेंसी वॉर्ड में भर्ती किया जाए।**
2. केवल लक्षण रहित पॉजीटिव ऐसे व्यक्ति जिनके पास पृथक हवादार एवं शौचालय युक्त कक्ष की उचित व्यवस्था हो को चिकित्सक द्वारा पूर्ण चिकित्सकीय आंकलन उपरान्त होम आईसोलेशन की अनुमति दी जा सकती है, परन्तु ऐसे व्यक्तियों का निरन्तर अनुसरण जिला स्तरीय दल द्वारा वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए।
3. भारत सरकार द्वारा दिनांक 30/11/2021 की स्थिति में निम्नानुसार **Countries at – risk** चिन्हांकित किए गए हैः–

   1. Countries in Europe including the United Kingdom
   2. South Africa
   3. Brazil
   4. Botswana
   5. China
   6. Mauritius
   7. New Zealand
   8. Zimbabwe
   9. Singapore
   10. Hongkong
   11. Israel

4. उपरोक्त देशों से आने वाले समस्त अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सूची आई.डी.एस.पी. शाखा द्वारा समय–समय पर संबंधित जिलों को उपलब्ध कराई जाती है। तदानुसार विमानतल पर नेगेटिव पाए गए यात्रियों को

अनिवार्यतः 7 दिवस हेतु होम क्वारंटाईन किया जाए एवं 8वे दिवस पर पुनः आर.टी.पी.सी.आर. द्वारा जांचा जाए।

5. **पॉजीटिव पाए गए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की Whole Genome Sequencing (WGS) के लिए सेम्पल संग्रहण करते हुए उन्हें पृथक से संस्थागत आईसोलेशन में रखा जाए।**
6. Variants of Concern की प्रभावी निगरानी हेतु नियमित तौर पर भी WGS सेम्पल संग्रहित कर निर्धारित प्रयोगशालाओं में प्रेषित की जाए।
7. **यदि Whole Genome Sequencing (WGS) में व्यक्ति नवीन Variant Omicron पॉजीटिव पाया जाता है तो, ऐसे रोगी को कड़ी संस्थागत आईसालेशन में रखने का उचित प्रबंधन किया जाए एवं मानक ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल का पालन तब तक सुनिश्चित किया जाए जब तक रोगी की आर.टी.पी.सी.आर. जांच नेगेटिव नहीं हो जाती।**
8. Whole Genome Sequencing (WGS) में यदि B.1.1.529 (Omicron Variant) नेगेटिव पाया जाता है तो, चिकित्सकीय परामर्श अनुरूप व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जा सकता है।

कोविड–19 प्रकरणों के लिए उपचार व्यवस्थाएं

1. प्रदेश में कोविड प्रकरणों की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए आवश्यक स्वास्थ्य संसाधन एवं समुचित अधोसंरचनागत व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए।
2. पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेण्डर तथा क्रियाशील ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की उपलब्धता ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य संस्थाओं में रहे।
3. जिले में स्थापित पी.एस.ए. प्लांट्स को क्रियाशील करने हेतु प्रदेश व्यापी मॉक–ड्रिल का आयोजन दिनांक 01/12/2021 को किया गया है। तदानुसार, परिलक्षित समस्याओं का उचित स्तर से समाधान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
4. समस्त शासकीय डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर तथा चिकित्सा महाविद्यालयीन डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों में कोविड उपचार हेतु आवश्यक औषधियों (Buffer Stock के साथ), सामग्री व उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित रहे।
5. इसी प्रकार बच्चों में कोविड–19 के प्रबंधन हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं (औषधि, सामग्री एवं उपकरण) सुनिश्चित किया जाए।
6. **कोविड–19 के मानक उपचार हेतु समस्त शासकीय व निजी अस्पतालों के कोविड आईसोलेशन वॉर्ड, कोविड आई.सी.यू. वॉर्ड अथवा कोविड हाई डिपेन्डेंसी वॉर्ड में पदस्थ चिकित्सक एवं नर्सिंग ऑफिसरस् हेतु ऑनलाईन प्रशिक्षण का आयोजन दिनांक 02/12/2021 को किया गया है जिसकी जानकारी निम्नानुसार हैः–**
   https://jhpiego.zoom.us/j/97783755703
   Meeting ID: 977 8375 5703
   Passcode: 009453
7. उपरोक्त के संबंध में सर्वसंबंधितों को समय रहते सूचित किया जाए।

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.

क्रमांक/आई.डी.एस.पी (तकनीकी)/2021/1727
भोपाल, दिनांक 01/12/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा शिक्षा विभाग,वल्लभ भवन, म.प्र।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम., म.प्र।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म.प्र.।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र।
7. उप संचालक, आई.टी., स्थानीय कार्यालय की ओर विभागीय पोर्टल आवश्यक अपलोड हेतु, म.प्र।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव,
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, म.प्र.